पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर झाड़सर कांधलान

अनुवान खजानी देवी बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना–पत्र संख्या – ..../2025

निर्णय दिनांक 25/6/2025

खजानी देवी पत्नी भूपसिंह जाति जाट निवासी झाड़सर कांधलान तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थीनी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थीनी द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर झाड़सर कांधलान में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 99 खसरा सं. 395 तादादी 4.5016 हैक्ट., खसरा नं. 437 तादादी 7.7640 हैक्ट., खसरा नं. 442 तादादी 3.4268 हैक्ट. भूमि रोही ग्राम झाड़सर कांधलान में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थीनी का नाम खजानादेवी पत्नी भूपसिंह दर्ज है जो कि गलत है सही नाम खजानी देवी पत्नी भूपसिंह है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्धि कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवारी हल्का ने प्रार्थीनी का नाम खजानी देवी किये जाने की अभिशंषा की गई है।

अतः कृषि भूमि रोही ग्राम झाड़सर कांधलान तहसील तारानगर के खाता संख्या 99 खसरा सं. 395 तादादी 4.5016 हैक्ट., खसरा नं. 437 तादादी 7.7640 हैक्ट., खसरा नं. 442 तादादी 3.4268 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीनी का नाम खजानादेवी Delete कर इसके स्थान पर खजानी देवी अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/6/2025 को कैम्प कोर्ट झाड़सर कांधलान में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)